भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2092
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन

2092. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत भिवंडी शहर में आज तक कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;
(ख) उक्त मिशन के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा क्या है;
(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त मिशन के अंतर्गत उक्त शहर को कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उसमें से कितना व्यय हुआ है;
(घ) क्या उक्त धनराशि के संवितरण और उपयोग में कोई अनियमितता पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) उक्त मिशन के लिए स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

संस्थागत देखभाल के अतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे	गैर-संस्थागत देखभाल (प्रायोजन/पालन पोषण देखभाल/पश्चात देखभाल) के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे
3667	32520

(31.03.2025 तक)

केंद्र स्तर पर बच्चों की संख्या आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राज्य स्तर पर एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। जहाँ तक निधियों के वितरण और उपयोग में अनियमितताओं का संबंध है, मंत्रालय में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) और (च): मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों में राज्य और जिला स्तर पर निगरानी तंत्र की परिकल्पना की गई है। योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राज्य स्तर पर राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति शामिल हैं। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार देकर जिला स्तर पर नोडल प्राधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) क्रमशः किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109) के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

प्रत्येक ज़िले के लिए परिकल्पित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) (जेजे अधिनियम की धारा 27-30) के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार है। दिनांक 31.03.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 783 सीडब्ल्यूसी कार्यरत हैं।

****